

# लेखाओं का वार्षिक विवरण 2014-2015

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) लखनऊ



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow

संख्या: ओ.ऐ.डी.-सी/एस.ए.आर.-भा.प्र.सं.राँ/2014-15/586 दिनांक: 17/03/2016  
सेवा में,

निदेशक,  
भारतीय प्रबंध संस्थान,  
सूचना भवन, ऑड्रे हाउस परिसर  
मेयर्स रोड राँची-834008

विषय: भारतीय प्रबंध संस्थान राँची के वर्ष 2014-15 के खातों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन  
और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र।

महाशय,

मैं वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान राँची (म.प्र.सं.राँ) की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा के प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न कर रहा हूँ।

2 दरतावेजों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

3 इन लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, परीक्षा प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखे जाने से पूर्व इस पर भारतीय प्रबंध संस्थान राँची के शासी निकाय द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत विचार कर अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिए।

4 लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे साथ :- (i) समेत लेखा परीक्षा प्रमाण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अपनाने संबंधी शासी निकाय के संकल्प (ii) इसे संसद में प्रस्तुत किये जाने की तिथि तथा (iii) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति यथासमय हमारे अभिलेख एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक, नई दिल्ली को आगे प्रेषण के लिए भेजी जाय।

5 हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी अनुवाद का अवलोकन किया जाय।

6 कृपया संलग्नको के साथ इस पत्र की पावती भेजी जाये।

भवदीय

संलग्नक: यथोक्त।

के. पी. आर.

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ

**भारतीय प्रबंध संस्थान राँची के वर्ष 31 मार्च 2015 के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

हमने भारतीय प्रबंध संस्थान राँची (म.प्र.सं.रौं) के 31 मार्च 2015 तक के तुलन पत्र, आय एवं व्यय खातों तथा प्राप्त एवं भुगतान लेखों का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 के अनुभाग 20(1) के अन्तर्गत कर ली है। यह लेखा परीक्षा 2014-15 तक की अवधि के लिये सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरणियाँ संस्थान के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रचलन पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। वित्तीय लेन देन पर विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता सह निश्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ, यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्य से रूप से स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा की है। हमने इन मानकों में अपेक्षित योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा का निश्पादन समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया ताकि यह वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हो। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच आधारित परीक्षण रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किए गये लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मुल्यांकन भी सम्मिलित हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

(i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ii) तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा, एवं प्राप्त एवं भुगतान जिन्हें इस प्रतिवेदन में लिया गया है उन्हें वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में, जैसा कि हमारे द्वारा वहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची द्वारा समितियों का निबंधन अधिनियम 1860 तथा संस्थान के नियम 18 के अंतर्गत संगठनों के ज्ञापन के खण्ड 3 के अधिन आवश्यक लेखा वहियों एवं अन्य सम्बंधित दस्तावेज संस्थान द्वारा उचित अवस्था में रखे गये हैं।

(iv) हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि :-

**अ. तुलन पत्र**

**अ.1 देनदारियों**

**अ.1.1 कोष निधि (अनुसूची-2) रु 6363.32 लाख**

संस्थान ने रु 6363.62 लाख का कोषनिधि (कार्रेंपस् फंड) का सृजन किया जो कि केन्द्र सरकार के स्वीकृति हेतु लंबित है। यद्यपि इस अनियमितताओं के लिए पूर्व के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, परन्तु संस्थान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

**अ.1.2 चालू देनदारियों एवं प्रावधान (अनुसूची-3) रु 382.88 लाख**

संस्थान के पास 1.4.2014 को अप्रयुक्त शेष राशि गैर-आवर्ति में रु 1470.24 लाख था और वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-आवर्ति में रु 527.10 लाख का अनुदान प्राप्त किया। इसमें से मात्र रु 18.43 लाख वर्ष के दौरान खर्च किया और अप्रयुक्त शेष रु 508.67 लाख के साथ प्रारंभिक शेष रु 1470.24 लाख शेष रहा। इस प्रकार कुल रु 1978.91 लाख का दायित्व का सृजन किया। जैसा कि संस्थान ने इस दायित्व को शीर्ष अनुदान मंत्रालय को वापसी में नहीं दिखाया गया था, इस प्रकार दायित्वों का न्यूनोक्ति एवं गैर आवर्ति का रु 1978.91 लाख से अतियोजित हुई

**अ.1.2.1** संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रीपेड खर्च शीर्ष के अन्तर्गत दायित्व रु 30.57 लाख का वर्ष 2014-15 के लेखा में गलत दिखाया था। जबकि वास्तविक खर्च अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जाना था। परिणाम स्वरूप चालू दायित्व का अतियोजित एवं चालू सम्पत्तियों का रु 30.57 लाख से न्यूनोक्ति हुई।

**अ.2 सम्पत्तियाँ**

**अ.2.1 अचल सम्पत्तियाँ ( अनुसूची-4) रु 1124.24 लाख**

**अ.2.1.1** संस्थान ने तुलन पत्र के साथ ही साथ अचल सम्पत्तियों के शीर्ष श्रुमिश्र तहत नए परिसर के निर्माण के लिए 90.14 एकड़ भूमि का मूल्य शामिल नहीं किया, पुनः रु 23.19 लाख की राशि शिलान्यास कार्यक्रम में खर्च को भी तुलन पत्र के अनुसूची-4 में शामिल नहीं किया था।

यद्यपि पूर्व के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इस अनिमियता को इंगित किया गया था, परन्तु संस्थान के द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

**अ.2.1.2** संस्थान ने अचल परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में संचित मूल्यहास रु 343.60 लाख के बदले रु 341.68 लाख दिखाया परिणाम स्वरूप रु 1.92 लाख के अंतर को सामाधान (रीकोनसाइल) करने की आवश्यकता है।

**अ.2.2 चालू संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम ( अनुसूची-6) रु 3269.93 लाख**

**अ.2.2.1** संस्थान ने रु 1361.80 लाख (अनुसूची-6बी) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्ति योग्य दिखाया (पूँजी रु 636.98 लाख और राजस्व रु 724.82 लाख) जबकि अनुदान पत्र के अनुसार रु 160.00 लाख ही मंत्रालय से प्राप्ति योग्य था, जो 04.04.2015 को वास्तव में प्राप्त हो गया है और मंत्रालय से पुनः अनुदान प्राप्त नहीं किया जाना था। इस प्रकार संस्थान ने रु 1201.80 लाख अधिक अनुदान मंत्रालय से प्राप्ति योग्य दिखाया। परिणाम स्वरूप मंत्रालय से प्राप्ति योग्य निधि के अतियोजित के साथ ही साथ चालू परिसम्पत्तियों का रु 1201.80 लाख का अतियोजित हुई।

**अ.2.2.2** वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय पर आय का अधिक राशि रु 1530.78 लाख और पूँजी कोष से रु 80.52 लाख हस्तांतर किया। इस तरह पूँजी कोष के अंतर्गत रु 1620.30 लाख अधिशेष निधि दिखाया। संस्थान ने इस तरह वार्षिक लेखे में रु 1650.53 लाख दर्शाया। इस प्रकार अधिशेष राशि रु 30.23 लाख ( रु 1650.53 लाख - रु 1620.30 लाख) से अंतर था और परिसम्पत्ति एवं दायित्वों के बीच रु 30.23 लाख से भिन्नताये (मीसमेच) था। तदनुसार रु 30.23 लाख की कमी का भी मंत्रालय राजस्व (अनुसूचि 6(ख), 5(क)) के मद में अतियोजित हुई थी।

**अ.2.3 कोष का विनियोजन( अनुसूची-5) रु 5465.16 लाख**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान का बैंक में सावधिक जमा/समयावधि जमा में विनियोजन हेतु दिये गये लेखा प्रारूप के अनुसार चालू सम्पत्ति के अंतर्गत इडोलमेन्ट फंड/इयर मार्क फंड को छोड़ कर दिखाया जाना चाहिए था।

संस्थान ने अधिशेष कोश रु 54.65 करोड़ को विभिन्न बैंको में फिक्स डिपोजिट किया। इस राशि को चालू सम्पत्ति के अंतर्गत दिखाने के वजाय विनियोजन मद के अंतर्गत दिखाया। फलस्वरूप रु 54.65 करोड़ से विनियोजन की अतिरिक्त तथा चालू सम्पत्ति का न्यूनोक्ति हुई।

#### ब. प्राप्ति एवं भुगतान खाता

यद्यपि संस्थान ने प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया था किन्तु वर्ष 2014-15 का अनुसूचियाँ एवं लेजर, प्राप्ति-भुगतान खाता से सम्बंधित संधारण नहीं किया था।

#### स. सामान्य

##### स.1 रुपये 46.77 लाख रुपये की विसंगति

कुल सम्पत्ति का अंतिम शेष दिनांक 31 मार्च 2014 को रु 1108.10 लाख था जबकि 2014-15 के तुलन पत्र में अचल सम्पत्ति रु 1061.33 लाख को प्रारंभिक शेष दिखाया गया है। फलस्वरूप अचल सम्पत्ति (गॉरोस ब्लॉक) का प्रारंभिक शेष रु 46.77 लाख से न्यूनोक्ति तथा वर्ष के दौरान सम्पत्ति में अधियुक्ति का लेखांकन किया गया है।

स.2 संस्थान ने 31.03.2014 तक के मूल्यहास को रीटैन डाउन पद्धति (डब्लू डी वी) से चार्ज किया और संस्थान ने वर्ष 2014-15 के दौरान मूल्यहास पद्धति को डब्लू डी वी पद्धति से स्ट्रेट लाइन विधि में परिवर्तित किया। मूल्य हास का दर आई टी रूल से बदल कर एम एच आर डी द्वारा निर्धारित दर में भी किया।

तुलन पत्र- 31.03.2014 (अनुसूचि-4) के अनुसार कुल मूल्यहास डब्लू डी वी के अनुसार रु 377.11 लाख था। एम एच आर डी के द्वारा निर्धारित दर के आधार पर संस्थान ने मूल्यहास को पुनः गणना करने के उपरांत रु 252.16 लाख 01.04.2015 को आया। अंतर राशि रु 124.95 लाख आय एवं व्यय खाता में एकाउंटिंग स्टैंडर्ड-6 के अनुसार जमा नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय पर आय से अधिक रु 124.95 लाख न्यूनोक्ति प्रतिलिखित हुई।

#### द. सहायता अनुदान

संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रु 1410.00 लाख (आवर्ती अनुदान रु 882.90 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रु 527.10 लाख) अनुदान प्राप्त किया और संस्थान द्वारा उत्पन्न आंतरिक आय रु 2717.50 लाख था। विगत वर्ष का अप्रयुक्त अनुदान रु 3607.14 लाख (आवर्ती अनुदान रु 2136.90 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रु 1470.24 लाख) था। इस प्रकार संस्थान के पास कुल अनुदान एवं अन्य आंतरिक आय रु 7734.64 लाख उपयोग के लिए उपलब्ध थे।

संस्थान ने इस में से रु 7734.64 लाख से रु 1998.52 लाख (आवर्ती अनुदान रु 1980.09 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रु 18.34 लाख) का उपयोग किया एवं शेष राशि रु 5736.12 लाख (आवर्ती अनुदान रु 3757.21 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रु 1978.91 लाख) 31 मार्च 2015 को अनुपयोग राशि के रूप में था।

#### घ. लेखे में संसोधन का प्रभाव

प्रबंधन ने अंकेक्षण प्रपेक्ष में वार्षिक लेखा का 24.11.2015 संसोधन किया और पुंजी कोष रु 254.05 लाख से कम किया।

**प्रबंधन पत्र**

जो त्रुटियाँ इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गयी हैं, उनकी जानकारी संस्थान को प्रबंधन पत्र के द्वारा दे दी गयी है, जो अलग से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए निर्गत की गयी है।

(अ) पूर्ववर्ती कड़िकाओं में दिए गये अवलोकनों के मद्देनजर हमारे प्रतिवेदन के अनुसार तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा, जिसका निपटारा इस प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है, लेखा बही के अनुरूप है।

(आ) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराए गये जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा विधि की नीतियों, लेखा पर टिप्पणियों तथा उपर वर्णित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक में उल्लिखित बातों के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा विधि के सिद्धांतों की अनुरूपता में सच्ची एवं निरपेक्ष मत उपलब्ध कराते हैं।

क) यह भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची 31 मार्च 2015 से संबंधित तुलन पत्र की परिस्थिति से संबंधित है और

ख) यह उक्त तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष में आय एवं व्यय खाता के अधिशेष से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक की ओर से

स्थान: **लखनऊ**

दिनांक: **17.3.2016**

**के. जे. शर्मा**

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ

**लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक**

**1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

इस संस्थान को अपने आंतरिक लेखा परीक्षा का स्कंध नहीं है बल्कि संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा की गई है। संस्थान को अभी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली बनाना है।

**2. आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

संस्थान में आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं

- संस्थान के पास लेखाकरण नियमावली एवं कार्यालय प्रक्रिया प्रणाली नहीं है।
- विनियोजन पॉलिसि का कोई सुत्रिकरण नहीं है तथा अधिशेष राशि को बचत बैंक खाता में रखा गया है।
- रोकड़ वही को नियमानुसार प्रतिदिन बंद नहीं किया जाता है।
- प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन प्रमाण का रिकॉर्ड नहीं है।
- जब कोई लेन-देन नहीं होता है तो "कोई लेन-देन नहीं" का प्रमाण को रोकड़ वही में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।
- रोकड़ वही, बैंक वही एवं लेजर को सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण नहीं किया जाता है।
- दायित्व पंजी को संघारित नहीं किया गया है।
- संस्थान के पदाधिकारियों का कार्य एवं दायित्व को स्पष्ट परिभाषित एवं आवंटन का कोई सुत्रीकरण नहीं है।
- केंद्रित अचल सम्पत्ति का संघारण नहीं किया गया है।

उपरोक्त विन्दु से यह स्पष्ट है कि आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।

**3. अचल सम्पत्ति और वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

संस्थान के द्वारा अचल सम्पत्ति और वस्तुसूची वर्ष के लिए का भौतिक सत्यापन किया गया है।

**4. वैधानिक देय के भुगतान कमे नियमितता**

संस्थान के द्वारा वैधानिक देय का भुगतान नियमित किया जा रहा है।

# तुलन पत्र

दिनांक : 31 मार्च, 2015



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र

(राशि रु. में)


विवरण	अनुसूची	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
कॉर्पस/पूँजी निधि एवं देनदारियां			
पूँजी निधि	1	2932,27,022.47	2371,66,010.69
कॉर्पस निधि	2	6363,32,142.96	3987,97,449.75
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	3	382,87,648.00	424,98,992.00
<b>कुल</b>		<b>9678,46,813.43</b>	<b>6784,62,452.44</b>
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां			
कुल संपत्तियां	4	1124,24,286.31	1108,09,686.31
घटाओ : संचित मूल्यहास		341,68,308.53	377,11,489.31
शुद्ध कुल संपत्तियां		782,55,977.78	730,98,197.00
प्रगतिरत पूँजीकार्य	4	160,82,150.00	160,82,150.00
<b>कुल</b>		<b>943,38,127.78</b>	<b>891,80,347.00</b>
निधि का निवेश	5	5465,15,826.00	5000,00,000.00
वर्तमान पूँजी, ऋण और अग्रिम	6	3269,92,859.65	892,82,105.44
<b>कुल</b>		<b>9678,46,813.43</b>	<b>6784,62,452.44</b>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – अनुसूची – 15

लेखांकन के भाग स्वरूप टिप्पणियां – अनुसूची – 16

प्राप्ति और भुगतान खाता – अनुसूची – 17

हमारी समान तिथि की संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबद्ध



निदेशक

आईआईएम राँची



स्थान : राँची


दिनांक : 06.11.2015



वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

आईआईएम राँची





वित्त एवं लेखा

आईआईएम राँची




भारतीय प्रबंध संस्थान राँची

31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
आय			
शुल्क और लंबी अवधि के कार्यक्रम से अन्य आय	7	1904,22,547.00	1693,30,028.86
सरकारी अनुदान	8	882,90,000.00	1079,99,694.03
ब्याज से आय	9	516,03,636.79	311,23,680.00
गैर-अनुदान और अन्य प्राप्तियां	10	297,24,158.42	609,25,842.22
<b>कुल (क)</b>		<b>3600,40,342.21</b>	<b>3693,79,245.11</b>
व्यय			
स्थापना व्यय	11	325,74,328.00	286,37,437.00
शैक्षिक व्यय	12	713,27,385.00	621,07,588.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	13	598,92,289.00	649,52,205.59
मूल्यहास	4	89,52,341.82	136,13,261.00
गैर-अनुदान व्यय	14	342,15,649.00	521,16,747.94
<b>कुल (ख)</b>		<b>2069,61,992.82</b>	<b>2214,27,239.53</b>
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख)		1530,78,349.39	1479,52,005.58
पूँजी निधि से स्थानांतरण		89,52,341.82	136,13,261.00
शेष		1650,52,572.21	1615,65,266.58
कोर्पस फंड में स्थानांतरण (अनु. 7+9+10+14)		2375,34,693.21	2092,62,803.14
एमएचआरडी को वापसी योग्य शुद्ध अधिशेष		-	-
<b>एमएचआरडी से मांगा गया घाटा</b>		<b>724,82,121.00</b>	<b>476,97,536.56</b>


महत्वपूर्ण लेखांकन सुविधाएं – अनुसूची – 15  
लेखांकन के भाग स्वरूप टिप्पणियां – अनुसूची – 16  
प्राप्ति और भुगतान खाता – अनुसूची – 17

हमारी समान तिथि की संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबद्ध


  
निदेशक  
आईआईएम राँची



स्थान : राँची  
दिनांक : 06.11.2015

  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
आईआईएम राँची



  
वित्त एवं लेखा  
आईआईएम राँची



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना-पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां  
अनुसूचि - 1 पूंजी अनुदान

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
पूँजी निधि का प्रारंभिक शेष		2318,77,500.00	1718,77,500.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त		527,10,000.00	600,00,000.00
कुल		2845,87,500.00	2318,77,500.00
घटाएं : अनुसूचि 4 के अनुसार संचित मूल्यहास		343,60,477.53	377,11,489.31
वर्ष के अंत में शेष		2502,27,022.47	1941,66,010.69
स्थायी परिसर के लिए निधि		430,00,000.00	430,00,000.00
<b>कुल</b>		<b>2932,27,022.47</b>	<b>2371,66,010.69</b>

अनुसूचि - 2 कॉर्पस निधि

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
कॉर्पस निधि का प्रारंभिक शेष		3987,97,449.75	1907,71,149.61
घटाएं: पिछले वर्ष की आय के रूप में ली गई राशि		-	12,36,503.00
जोड़ें : आय और व्यय खाते से हस्तांतरण		3987,97,449.75	1895,34,646.61
		2375,34,693.21	2092,62,803.14
<b>कुल</b>		<b>6363,32,142.96</b>	<b>3987,97,449.75</b>

अनुसूचि - 3 मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
मौजूदा देनदारियां			
1. सांविधिक देय राशि			
(क) टीडीएस	2,49,057.00		37,87,070.00
(ख) सेवा कर	2,88,312.00	5,37,369.00	2,664.00
2. अन्य मौजूदा देनदारियां			
(क) व्यय एवं अन्य के लिए देय बीजक	183,05,571.00		89,65,753.00
(ख) जमा, ईएमडी आदि	2,90,000.00		2,65,000.00
(ग) पूर्वछात्र निधि	10,35,000.00		10,35,000.00
(घ) अवधान राशि जमा	33,20,000.00		48,00,000.00
(ङ) भोजनशाला जमा	1,80,000.00	231,30,571.00	16,60,000.00
(च) एमडीपी / परामर्श परियोजनाएं:			
आदिवासी कल्याण मुक्ति	-		66,74,973.00
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आकलन - विश्व बैंक	22,26,266.00		22,29,186.00
जन-जातीय उपयोगिता का आकलन	76,44,738.00		77,20,050.00
व्यापार अभिविन्यास कार्यक्रम का विकास	4,000.00		4,000.00
एमडीपी आय: व्यावसायी के लिए परियोजना प्रबंधन	1,54,396.00		1,54,396.00
परियोजना वित्त और ऋण समूहन	8,427.00		8,427.00
झारखंड में शीडरशिप सर्वेक्षण	1,08,100.00		1,08,100.00
जेई व एई की भर्ती	2,76,089.00		2,76,089.00
मुस्कान आकर्षण	11,36,695.00		5,66,734.00
रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम	2,250.00		2,250.00
रांची में ऑटो रिक्शा चलाने का सर्वेक्षण	11,46,815.00		11,49,675.00
एसडब्ल्यूएसएम - ग्रामीण जल एवं स्वच्छता का प्रभाव अध्ययन	4,10,873.00		4,10,873.00
सीसीएल की परियोजना से प्रभावित लोग	1,10,057.00		-
सारंडा परियोजना व्यय	-22,193.00		-
10 दिन बीएबीआई	3,60,000.00		
एसडब्ल्यूएसएम - प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की नीति	10,52,895.00	146,19,408.00	10,54,069.00
(छ) प्राप्त अग्रिम शुल्क			
छात्र गतिविधियां	-		62,711.00
प्राप्त अग्रिम शुल्क - पीजीईएमपी	-		15,61,000.00
प्राप्त अग्रिम शुल्क - पीजीईएक्सपी	300.00	300.00	972.00
3. आई/ई खाते से स्थानांतरित एमएचआरडी को वापसी योग्य राजस्व अनुदान			
<b>कुल</b>		<b>382,87,648.00</b>	<b>424,98,992.00</b>

भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना-पत्र के भाग स्वरूप अनुसूची - 4

विवरण	दर	वर्ष के प्रारम्भ में लागत		वर्ष के दौरान क्रिय/समायोजन		वर्ष के अंत में कुल लागत		वर्ष के प्रारम्भ में		वर्ष के दौरान मूल्यांकन		वर्ष का कुल योग		वर्ष के अंत में कुल योग		वर्ष के अंत में कुल मूल्य		वर्ष के अंत में कुल मूल्य		वर्ष के अंत में कुल मूल्य			
		वर्ष के प्रारम्भ में लागत	वर्ष के अंत में कुल लागत	वर्ष के दौरान क्रिय/समायोजन	वर्ष के अंत में कुल लागत	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान मूल्यांकन	वर्ष के दौरान मूल्यांकन	वर्ष के अंत में कुल योग	वर्ष के अंत में कुल योग	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	वर्ष के अंत में कुल मूल्य	
1. भूमि	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. बिल्डिंग	2.00%	235,82,167.00	0.00	0.00	235,82,167.00	0.00	235,82,167.00	0.00	9,56,993.00	4,71,643.00	0.00	4,71,643.00	14,28,636.00	221,53,531.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00	226,25,174.00
3. कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण	20.00%	142,20,300.82	0.00	2,17,395.00	140,02,905.82	0.00	140,02,905.82	78,38,681.00	29,87,420.82	29,87,420.82	-1,89,802.00	27,97,618.82	106,36,299.82	33,66,606.00	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82	63,81,619.82
4. पुस्तकालय की किताबें	10.00%	18,88,019.00	0.00	99,439.00	19,87,458.00	0.00	19,87,458.00	4,55,772.00	4,55,772.00	1,98,748.00	0.00	1,98,748.00	6,54,520.00	13,32,938.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00	14,32,247.00
6. फर्नीचर और फिटिंग	7.50%	432,52,931.00	0.00	55,42,160.00	487,95,091.00	0.00	487,95,091.00	53,07,781.00	53,07,781.00	36,59,631.00	0.00	36,59,631.00	89,67,412.00	398,27,679.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00	379,45,150.00
8. वाहन	10.00%	6,75,287.78	0.00	0.00	6,75,287.78	0.00	6,75,287.78	2,02,771.00	2,02,771.00	67,529.00	0.00	67,529.00	2,70,300.00	4,04,987.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78	4,72,516.78
10 ऑडिटिंग विद्युत उपकरण	7.50%	5,65,281.00	0.00	39,655.00	6,04,936.00	0.00	6,04,936.00	1,02,647.00	1,02,647.00	45,371.00	0.00	45,371.00	1,48,018.00	4,56,918.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00	4,62,634.00
11. कार्यालय उपकरण	7.50%	24,35,158.71	0.00	19,149.00	24,42,955.71	11,352.00	24,42,955.71	4,56,073.71	4,56,073.71	1,85,591.00	-2,367.00	1,83,224.00	6,39,297.71	18,03,658.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00	19,79,085.00
12. विद्युत अधिभोग	5.00%	97,99,907.00	0.00	8,16,188.00	106,16,095.00	0.00	106,16,095.00	12,78,573.00	12,78,573.00	5,30,804.00	0.00	5,30,804.00	18,09,377.00	88,06,718.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00	85,21,334.00
13. अमूर्त संपत्ति	40.00%	95,68,464.00	0.00	0.00	95,68,464.00	0.00	95,68,464.00	85,82,601.00	85,82,601.00	9,85,858.00	0.00	9,85,858.00	95,68,459.00	5.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00	9,85,863.00
14. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला के उपकरण	8.00%	1,45,650.00	0.00	3,276.00	1,48,926.00	0.00	1,48,926.00	34,074.00	34,074.00	11,915.00	0.00	11,915.00	45,989.00	1,02,937.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00	1,11,576.00
<b>कुल</b>		1061,33,166.31	0.00	65,19,867.00	1124,24,286.31	2,28,747.00	1124,24,286.31	252,15,966.71	252,15,966.71	91,44,510.82	-1,92,169.00	89,52,341.82	341,68,308.53	782,55,977.78	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60	809,17,199.60
9. प्राप्तित पूरी कार्य परिसर चाहरदीवारी		160,82,150.00	0.00	0.00	160,82,150.00	0.00	160,82,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00	160,82,150.00
<b>कुल</b>		1222,15,316.31	0.00	65,19,867.00	1285,06,436.31	2,28,747.00	1285,06,436.31	252,15,966.71	252,15,966.71	91,44,510.82	-1,92,169.00	89,52,341.82	341,68,308.53	943,38,127.78	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60	969,99,349.60



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र के भाग स्वरुप  
अनुसूचि - 5 निधि का निवेश

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
<b>अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा:</b>			
एक्सिस बैंक के साथ	-		600,00,000.00
आईसीआईसीआई बैंक के साथ	700,00,000.00		3100,00,000.00
यस बैंक के साथ	1000,00,000.00		600,00,000.00
एचडीएफसी बैंक के साथ	3265,15,826.00		700,00,000.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-		
इंडसइंड बैंक	500,00,000.00		
भारतीय स्टेट बैंक	-	5465,15,826.00	
<b>कुल</b>		<b>5465,15,826.00</b>	<b>5000,00,000.00</b>

अनुसूचि - 6 मौजूदा संपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
<b>क. मौजूदा परिसंपत्तियां</b>			
1. हाथ में नकदी		6,474.00	29,183.00
2. बैंक बैलेंस			
भारतीय स्टेट बैंक - चालू खाता	39,20,207.00		29,40,797.00
आईसीआईसीआई बैंक - बचत खाता	1259,20,351.19		8,91,546.08
आईसीआईसीआई बैंक - एडमिशन खाता	8,56,808.80		8,37,277.80
एचडीएफसी बचत खाता	186,00,000.00		
भारतीय स्टेट बैंक - एनपीएस खाता	56,682.00	1493,54,048.99	37,005.00
3. फुटकर देनदार		101,45,986.00	145,55,223.00
4. माल		2,96,238.50	1,61,272.00
5. हाथ में डाक टिकट		72.00	220.00
<b>कुल (क)</b>		<b>1598,02,819.49</b>	<b>194,52,523.88</b>
<b>ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां</b>			
1. ऋण और अग्रिम			
(क) कर्मचारी	11,546.00		2,49,106.00
(ख) अन्य	5,61,795.00		
(ग) वसूली योग्य भविष्य निधि	2,19,691.00	7,93,032.00	19,65,632.00
2. प्रीपेड व्यय			
(क) बीमा	2,01,876.00		43,602.00
(ख) अन्य व्यय एएमसी सहित	112,46,471.50		61,62,422.00
(ग) अन्य (PGEMP)	-	114,48,347.50	-
3. सुरक्षा जमा			
(क) सुरक्षा जमा		5,21,635.00	5,15,539.00
4. उपार्जित आय			
निवेश पर अर्जित ब्याज		123,28,666.05	110,03,982.00
5. अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) एमएचआरडी-पूजी से प्राप्य		636,97,536.56	-
(ख) एमएचआरडी-राजस्व से प्राप्य		724,82,121.00	476,97,536.56
6. प्राप्य टीडीएस		59,18,702.05	21,91,762.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>1671,90,040.16</b>	<b>698,29,581.56</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>3269,92,859.65</b>	<b>892,82,105.44</b>

अनुसूचि - 7 शुल्क और लंबी अवधि के कार्यक्रम से अन्य आय

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
<b>शुल्क / सदस्यता</b>			
1. ट्यूशन और अन्य शुल्क		1738,90,000.00	1557,00,000.00
2. जन्त स्वीकृति शुल्क		78,147.00	9,21,931.02
3. अन्य प्राप्तियां		14,19,400.00	20,86,977.84
4. मैस शुल्क		150,35,000.00	106,21,120.00
<b>कुल</b>		<b>1904,22,547.00</b>	<b>1693,30,028.86</b>



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र के भाग स्वरूप  
अनुसूचि - 8 सहायता अनुदान/सब्सिडी

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
1. सरकारी अनुदान-एमएचआरडी पिछले साल से आगे लाया गया		-	231,77,694.03
जोड़ें: राजस्व अनुदान - वर्ष के दौरान प्राप्त		882,90,000.00	848,22,000.00
घटाएं: समायोजित घाटा		-	-
शेष		882,90,000.00	1079,99,694.03
जोड़ें: वि.व. 2011-12 के लिए कैग रिपोर्ट के अनुसार समायोजित आय		-	-
आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित		882,90,000.00	1079,99,694.03

अनुसूचि - 9 ब्याज से आय

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
1. बचत खातों पर			
- अनुसूचित बैंकों के साथ		25,50,921.00	39,59,024.00
2. सावधि जमा पर ब्याज		490,52,715.79	271,64,656.00
<b>कुल</b>		<b>516,03,636.79</b>	<b>311,23,680.00</b>

अनुसूचि - 10 गैर-अनुदान आय

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
<b>1. शुल्क एवं अन्य आय</b>			
(क) PGEXP शुल्क		240,18,926.33	268,94,667.52
(ख) कंसल्टेंसी और एमडीपी आय		3,16,609.00	43,88,205.00
(ग) विविध प्राप्तियां		3,42,540.09	4,10,851.70
(घ) PGEMP शुल्क		50,46,083.00	74,67,065.00
(ङ) EPABABI कार्यक्रम प्राप्तियां		-	125,73,941.00
(च) सीएसआर प्राप्तियां		-	7,83,136.00
(छ) टेडेक्स प्राप्तियां		-	9,50,899.00
(ज) सेवा कर		-	74,57,077.00
<b>कुल</b>		<b>297,24,158.42</b>	<b>609,25,842.22</b>

अनुसूचि - 11 स्थापना व्यय

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
<b>स्थापना व्यय</b>			
1. वेतन एवं अन्य भत्ते		313,38,328.00	279,67,937.00
2. प्रभारी निदेशक को पारितोषिक		12,36,000.00	6,69,500.00
<b>कुल</b>		<b>325,74,328.00</b>	<b>286,37,437.00</b>

अनुसूचि - 12 शैक्षणिक व्यय

विवरण		31.03.2015 के अनुसार (राशि रु. में)	31.03.2014 के अनुसार (राशि रु. में)
<b>शैक्षणिक व्यय</b>			
1. विजिटिंग शिक्षकों को मानदेय		255,63,897.00	209,48,856.00
2. विजिटिंग शिक्षकों को बोर्डिंग और यात्रा व्यय		46,73,853.00	40,10,177.00
3. पाठ्यक्रम सामग्री व्यय		63,46,987.50	54,95,075.00
4. जर्नल व डाटाबेस व्यय		140,27,409.00	88,97,767.00
5. सॉफ्टवेयर नवीकरण व्यय		15,86,726.00	23,25,953.00
6. छात्र गतिविधियां		4,72,639.00	3,61,005.00
7. बाहरी कार्यक्रम व्यय		2,32,000.00	47,31,336.00
8. एफपीएम व्यय		57,71,271.00	43,64,492.00
9. दीक्षांत समारोह व्यय		12,44,412.00	4,67,074.00
10. छात्र कल्याण व्यय		3,36,518.00	1,69,871.00
11. शिक्षकों की भर्ती और विकास खर्च		26,92,029.00	20,61,429.00
12. एडमिशन व्यय		41,69,561.00	43,31,162.00
13. प्लेसमेंट व्यय		30,28,594.50	34,45,621.00
14. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन		9,00,588.00	3,83,119.00
15. बिजनेस एनालिटिक्स / एचआर कॉन्क्लेव / एनएचआरडीएन / एआईएमए		2,80,900.00	1,14,651.00
<b>कुल</b>		<b>713,27,385.00</b>	<b>621,07,588.00</b>



भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची

अनुसूचि – 15: 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र के भाग स्वरूप एवं अनुबद्ध महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

**1. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:**

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन के उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत तैयार किए जाते हैं।

**2. राजस्व मान्यता:**

2.1 छात्रों से फीस (टयुशन फीस को छोड़कर) और बचत बैंक खातों पर ब्याज नकदी आधार पर लेखांकित किए गए हैं।

2.2 निवेश पर ब्याज उपार्जन के आधार पर लिया गया है।

**3. अचल संपत्ति:**

3.1 अचल संपत्तियों की अधिग्रहण लागत को लिया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर, और अधिग्रहण, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।

3.1 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया सिविल कार्य जो सूचना भवन के छात्रावास के कमरों और कार्यालयों के विभाजन के कारण पूंजीगत व्यय की प्रकृति का है, को व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार भवन पर लगाई गई दर पर समाप्त कर दिया गया है।

**4 मूल्यहास और परिशोधन**

**क. मूल्यहास**

4.1 मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान एमएचआरडी के पत्र क्र.29-4/2012/IFD दिनांकित 17/04/2015 के अनुसार केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि के अनुसार किया गया है।

4.2 मूर्त अचल संपत्तियों की बुक वैल्यू का संबंधित निधि के साथ मिलान के लिए मूर्त अचल संपत्तियों पर लगाया गया मूल्यहास संबंधित निधि से आय एवं व्यय खाता (रेखा से नीचे) में स्थानांतरित किया गया है।

4.3 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास लगाया गया है।

4.4 जहाँ मूर्त अचल संपत्तियों का पूरी तरह मूल्यहास हो गया है, उन्हें तुलन-पत्र में रु.1 के अवशिष्ट मूल्य पर रखा गया है और आगे मूल्यहास नहीं लगाया गया है।

4.5 मूर्त अचल संपत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का अलग-अलग मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) को अल्प मूल्य की संपत्ति के रूप में माना गया है। ऐसी संपत्तियों पर उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

4.6 किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को, हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण, हार्डवेयर की कीमत के साथ ही पूंजीकृत किया गया है। तथापि, सॉफ्टवेयर (ईआरपी सहित) के अधिग्रहण पर किया गया व्यय, जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, को अमूर्त आस्तियां माना गया है।

**ख. परिशोधन**

4.7 पेटेंट और कॉपीराइट, ई पत्रिकाएं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें एमएचआरडी द्वारा निर्दिष्ट दरों पर परिशोधित किया गया है। 2 वर्ष से कम अवधि के लिए सॉफ्टवेयर नवीकरण शुल्क राजस्व से लिया गया है।

**5. निवेशः**

5.1 निवेश मोटे तौर पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही किया गया है।

5.2 लंबी अवधि के निवेश को उनकी लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। तथापि, तुलन-पत्र की तिथि पर उनके मूल्य में हुई किसी भी स्थायी कमी का प्रावधान किया गया है।

**6. वस्तुसूचिः**

वस्तुसूचि में भंडार और स्टेशनरी भी शामिल है, जिसे लागत मूल्य पर लिया गया है। इस तरह की सामग्री को अपने स्थान तक लाने के लिए व्यापार में सामान्य रूप से किए गए व्यय, जहां लागू हो, और उचित खर्च लागत में शामिल हैं।

**7. सरकारी अनुदानः**

पूँजी और राजस्व अनुदान को एम.एच.आर.डी. के निर्देशानुसार उनके संबंधित मदों में विभाजित किया गया है।

**8. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभः**

8.1 परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ, जिसमें नई पेंशन योजना और भविष्य निधि शामिल है, को मान्य किया गया है और वास्तविक दायित्व के आधार पर राजस्व से लिया गया है।

क. नियमित सेवा के 5 साल पूरा होने के बाद ही किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय होती है। चूंकि किसी भी कर्मचारी ने 5 साल का समय पूरा नहीं किया है, इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**9. विदेशी मुद्रा लेनदेनः**

विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय और किए गए खर्च लेनदेन की तारीख की विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं और भिन्नता (अगर कोई है) को आय एवं व्यय खाता में लिया गया है।

**10. कैपिटल निधि और कॉर्पस निधिः**

कैपिटल निधि अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित है। यह निधि मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से बनाई गई है।

कॉर्पस निधि शासी मंडल के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा उत्पन्न अधिशेष (केवल आंतरिक संसाधनों की आय से) से बनाई गई है।





भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची  
अनुसूची – 16: 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र के भाग स्वरूप एवं अनुबद्ध लेखांकन टिप्पणियां:-

**1. आकस्मिक देयताएं:**

- प्रारंभिक तौर पर राजभवन में आयोजित की गई बैठक के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा सूचना भवन के भवन में स्थान प्रदान किया गया है जिसका किराया और अन्य नियम व शर्त नहीं बताए गए हैं। इस तरह की जानकारी के अभाव में इस तरह के मामले का वित्तीय निहितार्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- पिछले तीन वर्षों के लिए प्राप्त राँची नगर निगम का दावा विवाद के अधीन है।

**2. पूंजीगत व्यय और मूल्यहास:**

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक – 12 का प्रस्ताव है कि पूरी तरह से सब्सिडी वाली आस्तियों पर कोई भी मूल्यहास नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उचित रिकॉर्ड रखने के लिए, अचल संपत्ति पर मूल्यहास लगाया गया है और पूंजी निधि से घटाया गया है।
- मूर्त अचल संपत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का अलग-अलग मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है, (लाइब्रेरी की किताबों को छोड़कर), को अल्प मूल्य की संपत्ति माना गया है (लेखांकन नीति 4.5 के अनुसार)। ऐसी संपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यहास का प्रावधान किया गया है। सभी मामलों में इसी नीति का पालन किया गया है स्टील ट्रंक के मामले को छोड़कर जो फर्नीचर और फिक्चर मद के तहत पूंजीकृत है।

**3. संचालन घाटा / अधिशेष:**

एमएचआरडी से प्राप्त राजस्व अनुदान से राजस्व व्यय को घटाने के बाद एमएचआरडी का दावा पूरा कर लिया गया है।

**4. कॉर्पस निधि:**

कॉर्पस निधि का निर्माण शासी मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ₹.23,75,32,893.21 की राशि कॉर्पस निधि के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। पूंजी और राजस्व का विभाजन आंतरिक रिकॉर्ड के लिए है। हालांकि, दोनों कॉर्पस और पूंजी निधि भारत की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

**5. परिसर के लिए पूंजी अनुदान:**

स्थायी परिसर के लिए ₹.4,30,00,000/- का अनुदान वित्तीय वर्ष 2011-12 में आवंटित किया गया है, जिसमें से ₹.1,60,82,150.00 की राशि नगरी गांव में चाहरदीवारी के निर्माण के लिए किए गए खर्च की गई थी। निर्माण बाधित हो गया था और व्यय की गई राशि की लेखा-समाप्ति का मामला आगे की कार्रवाई के लिए शासी मंडल के पास ले जाया जाएगा।

**6. प्रगतिरत कार्य के तहत संपत्ति की बुकिंग:**

वित्त वर्ष 2012-13 के अंत तक प्रगतिरत कार्य में रखी गई राशि को अचल संपत्तियों के तहत विभिन्न मदों जैसे भवन, फर्नीचर और फिक्चर में बुक किया गया है।

**7. आईआईएम राँची कैम्पस के लिए आवंटित नई भूमि का प्रकटीकरण:**

झारखंड सरकार ने आईआईएम राँची के परिसर के निर्माण के लिए चेरी गांव में भूमि आवंटित की है। भूमि का कुछ हिस्सा अभी तक आईआईएम राँची को सौंपा नहीं गया है इसलिए इसे अभी तक लेखांकित नहीं किया गया है।

**8. आईआईएम राँची का अधिकार रहित भवन:**

वर्तमान में संस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भवन की इमारत में चल रहा है। जो आईआईएम राँची से संबंधित नहीं है। इसलिए सिर्फ अवस्थापना सुविधाओं में होने वाली वृद्धि को ही पूंजीकृत किया जा रहा है।

**9. मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:**

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम को सामान्य व्यापार क्रम में प्राप्य मूल्य पर लिया गया है जो कम से कम तुलन-पत्र में दी गई कुल राशि के बराबर है।

**10. निवेश:**

निवेश कॉर्पस निधि, छात्रों से जमा, परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम निधि, और एमएचआरडी से प्राप्त पूंजी अनुदान के शेष से समानुपात में किया जा रहा है।

**11. कराधान:** संस्थान, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) (iiiab) के तहत आयकर से मुक्त है, इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा संस्थान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 A। का तहत पंजीकृत है।

**12. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ:**

i) संस्थान कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए एनएसडीएल द्वारा संचालित नई पेंशन योजना में शामिल है।

ii) किसी कर्मचारी द्वारा नियमित सेवा के 5 साल पूरा होने के बाद ही ग्रेच्युटी लागू होती है। चूंकि किसी भी कर्मचारी ने नियमित सेवा के 5 साल पूरे नहीं किए हैं, इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

iii) सभी अनुबंधों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पूर्वव्यापी रूप से जुलाई, 2012 से भविष्य निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियंत्रित है। पीएफआरडीए को भुगतान की वास्तविक राशि वास्तविक दायित्व के आधार पर राजस्व से ली जाती है।

13. परामर्श परियोजनाएं जो वित्तीय वर्ष के अंत में जारी हैं, उन पर साल के दौरान किए गए व्यय को व्यय के रूप में लेखांकित किया गया है और उतनी ही राशि परामर्श परियोजनाओं से होने वाली आय के रूप में लेखांकित की गई है ताकि आय और व्यय खाते का आंकड़े सही बने रहें।

14. संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एमएचआरडी के पत्र क्र. 29-4 / 2012 / IFD दिनांकित 17.04.2012 के अनुसार संहिताकरण दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। हालांकि, खातों को ऊपर उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इसके अलावा, ऊपरोक्त का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

15. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान मूल्यह्रास नीति में परिवर्तन के कारण, वर्ष 2014-15 की आय ₹8,86,570.18 से बढ़ गई है।

16. जहां आवश्यक हुआ, पिछले साल के आंकड़ों को फिर से एकजुट और वर्गीकृत कर दिया गया है।

*Sandhya*

निदेशक  
आईआईएम राँची



स्थान : राँची  
दिनांक : 06.11.2015

*Ed*

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
आईआईएम राँची



*Sachin K*

वित्त एवं लेखा  
आईआईएम राँची



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
अनुसूचि 17 - 31 मार्च 2015 के अनुसार प्राप्त और भुगतान खाता

विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए (राशि रु. में)	विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए (राशि रु. में)
<b>प्रारंभिक शेष:</b>		<b>स्थापना व्ययों का भुगतान:</b>	
नगदी	29,183.00	वेतन एवं भत्ते	336,69,704.00
<b>बैंक शेष:</b>		प्रभारी निदेशक को पारितोषिक	12,36,000.00
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालू खाता	29,40,797.00	<b>शैक्षणिक व्ययों भुगतान:</b>	
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनपीएस खाता	37,005.00	विजिटिंग शिक्षकों को मानदेय	255,63,897.00
आईसीआईसीआई बैंक बचत खाता	8,91,546.08	विजिटिंग शिक्षकों को बोर्डिंग और यात्रा व्यय	46,73,853.00
आईसीआईसीआई बैंक प्रवेश खाता	8,37,277.80	पाठ्यक्रम सामग्री व्यय	63,46,987.50
<b>सावधि जमा:</b>		जर्नल व डाटाबेस व्यय	140,27,409.00
बैंकों में सावधि जमा	4300,00,000.00	सॉफ्टवेयर नवीकरण व्यय	15,86,726.00
<b>लंबी अवधि के कार्यक्रम से शुल्क प्राप्ति</b>		छात्र गतिविधियां	4,83,614.00
पीजीडीएचआरएम	368,61,150.00	बाहरी कार्यक्रम व्यय	2,32,000.00
पीजीडीएम	1238,70,000.00	एफपीएम व्यय	57,71,271.00
विलंब शुल्क	40,000.00	दीक्षांत समारोह व्यय	12,44,412.00
छात्रों से जमा	1,61,688.00	छात्र कल्याण व्यय	3,25,543.00
एफपीएम आवेदन शुल्क	68,000.00	लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	10,000.00
..... प्राप्ति	150,96,250.00	शिक्षकों की भर्ती और विकास खर्च	32,90,526.00
ऑडिट पाठ्यक्रम शुल्क	10,000.00	एडमिशन व्यय	41,69,561.00
<b>सहायता अनुदान प्राप्ति</b>		प्लेसमेंट व्यय	30,28,594.50
भारत सरकार (एमएचआरडी)	1250,00,000.00	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3,02,091.00
<b>ब्याज प्राप्ति</b>		<b>अन्य प्रशासनिक व्यय:</b>	
निवेश	407,86,221.32	प्रत्यायन	4,84,758.50
बचत बैंक खाता	25,50,921.00	विज्ञापन	18,48,908.00
<b>गैर-अनुदान प्राप्ति</b>		उद्घाटन व्यय	1,16,503.00
पीजीईएक्सपी ट्यूशन शुल्क	260,31,342.33	उपकरणों का किराया	21,98,166.00
पीजीईएमपी	77,74,018.00	टेलीफोन और मोबाइल प्रभार	1,58,020.00
शुल्क एवं अन्य प्राप्ति	217,27,115.00	डाक व तार	97,195.00
छात्रावास शुल्क प्राप्ति	1,000.00	इंटरनेट प्रभार	29,01,047.00
सीसीएल से	11,25,903.00	आईटी सहयोग	43,10,412.00
टीडीएस एवं सेवा कर	44,64,336.00	गृहकार्य व्यय	33,39,984.00
महिन्द्रा फाइनेंसियल	4,49,440.00	समाचार पत्र और पत्रिकाएं	23,714.00
10 दिवसीय व्यापार विश्लेषिकी और व्यापार संज्ञान	3,60,126.00	कर्मचारियों की नियुक्ति	56,91,112.00
विविध प्राप्ति	33,502.46	बोर्ड बैठक व्यय	6,18,555.00
नौकरी आवेदन शुल्क	2,26,200.00	कंसल्टेंसी और मीटिंग व्यय	2,03,214.00
सरांडा परियोजना	2,99,211.00	लेखा परीक्षक और कंसल्टेंट्स	1,63,942.00
..... (एमडीपी)	3,00,000.00	विद्युत व्यय	30,55,250.00
हिंदुस्तान लीवर लि.	6,40,452.00	किराया - निदेशक का आवास	3,60,000.00
<b>अन्य प्राप्तियां:</b>		किराया - आवासीय फ्लैट	2,77,200.00
छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	67,89,570.00	किराया - छात्रावास खेलगांव	123,90,378.00
यात्रा प्राप्ति	17,100.00	किराया प्रभार - जेनरेटर	76,90,164.00
		मरम्मत एवं रखरखाव	19,64,818.50
		यात्रा और वाहन व्यय	4,47,896.00
		किराया प्रभार - बस / कार	73,24,802.00
		सेमिनार और सम्मेलन	30,741.00
		बीमा	3,13,339.00
		प्रिंटिंग व स्टेशनरी	7,36,307.00
		बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय	8,08,406.00
		गेस्ट हाउस व्यय	13,85,227.00
		कर्मचारी कल्याण खर्च	2,44,414.00
		कार्यालय का खर्चा	1,92,656.00
		महत्वपूर्ण दिवस समारोह	9,810.00
		आधार शिला पत्थर लगाने का व्यय	720.00
		विविध व्यय	90,257.00
		पूर्व अवधि व्यय	6,95,273.00



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31 मार्च 2015 के अनुसार प्राप्त और भुगतान खाता

विवरण	वर्ष 2013-14 के लिए (राशि रु. में)	विवरण	वर्ष 2013-14 के लिए (राशि रु. में)
		गैर-अनुदान व्यय भुगतान	
		मैस प्रभार	121,18,525.00
		बोर्ड बैठक शुल्क	1,10,000.00
		PGEXP व्यय	127,66,622.00
		आदिवासी कल्याण मुक्ति	91,74,973.00
		PGEMP व्यय	35,47,521.00
		सारंडा परियोजना व्यय	6,493.00
		एमडीपी व्यय	2,64,336.00
		सावधि जमा	4700,00,000.00
		नगद भुगतान	
		<b>अन्य भुगतान:</b>	
		संगीत उपकरण	13,555.00
		छेदन यंत्र	3,360.00
		छात्रों को छात्रवृत्ति	71,87,570.00
		एयर कंडीशनर	94,320.00
		वॉशिंग मशीन	90,600.00
		वाटर कूलर / शोधक	6,31,268.00
		सेवा कर भुगतान	35,84,622.00
		टीडीएस भुगतान	82,40,655.00
		खेल उपकरण	3,276.00
		जलपान व्यय के लिए अग्रिम (कार्यालय एवं G.H.)	3,46,048.00
		सुरक्षा निधि जमा (राम दयाल मुंडा कला भवन)	10,000.000
		पुरवा इंडस्ट्रीज	63,545.00
		असेन्सिअल	3,26,842.00
		प्रवेश शुल्क वापसी	43,55,400.00
		जूम एंटरप्राइजेज	1,64,090.00
		फर्नीचर एवं फिक्चर	6,62,194.00
		पुस्तकालय की पुस्तकें	99,439.00
		स्मृति चिन्ह की खरीद	60,000.00
		<b>अंतिम शेष:</b>	
		नगदी	6,474.00
		<b>बैंक शेष:</b>	
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालू खाता	39,20,207.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनपीएस खाता	56,682.00
		आईसीआईसीआई बैंक बचत खाता	1259,20,351.19
		आईसीआईसीआई एडमिशन अकाउंट	8,55,008.80
		एचडीएफसी बैंक खाता	186,00,000.00
<b>कुल</b>	<b>8494,19,354.99</b>	<b>कुल</b>	<b>8494,19,354.99</b>



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान की स्थिति

विवरण	क	राजस्व अनुदान	पूँजी अनुदान	कुल
01.04.2014 के अनुसार	क	-476.90	1,470.24	993.34
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				-
दिनांक: 17.06.2014		222.22	277.78	500.00
दिनांक: 19.09.2014		400.00	-	400.00
दिनांक: 30.12.2014		154.43	195.57	350.00
दिनांक: 31.03.2015		106.25	53.75	160.00
वि.व. 2014-15 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान	ख	882.90	527.10	1,410.00
<b>महायोग</b>	<b>क+ख</b>	406.00	1,997.34	2,403.34



भारतीय प्रबंध संस्थान राँची  
31.03.2015 के अनुसार सावधि जमा और उस पर ब्याज स्वरूप उपाजित आय का विवरण

क्र. सं.	तिथि	बैंक	एफडीआर न.	ब्याज दर % में	निवेश की अवधि	परिपक्वता अवधि	राशि
1	01-12-2014	एचडीएफसी बैंक	50300070152038	9.04%	1 वर्ष	03-12-2015	2000,00,000.00
2	16-01-2015	एचडीएफसी बैंक	50300076635198	9.04%	1 वर्ष	16-01-2016	300,00,000.00
3	17-01-2015	एचडीएफसी बैंक	50300076635070	9.04%	1 वर्ष	17-01-2016	200,00,000.00
4	11-01-2015	एचडीएफसी बैंक	50300027908582	8.50%	1 वर्ष	11-01-2016	765,15,826.00
5	01-12-2014	आईसीआईसीआ ई बैंक	1150130000073	8.80%	1 वर्ष	01-12-2015	500,00,000.00
6	16-01-2015	आईसीआईसीआ ई बैंक	11501300000109	8.75%	1 वर्ष	16-01-2016	200,00,000.00
7	01-12-2014	इंडसइड बैंक	300712552966	9.00%	1 वर्ष	01-12-2015	500,00,000.00
8	16-01-2015	यस बैंक	0080404000015911	8.91%	1 वर्ष	16-01-2016	500,00,000.00
9	01-12-2014	यस बैंक	0080404000015512	9.02%	1 वर्ष	01-12-2015	500,00,000.00
						<b>कुल</b>	<b>5465,15,826.00</b>

